हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय का नोटिस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **हरियाणा में नायब सिंह सैनी** सरकार द्वारा कैबिनेट विस्तार को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र तथा हरियाणा सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य बिंदु:

- याचिका के अनुसार, **राज्य में 90 सदस्यीय सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद कुल संख्या के 13 (15%)** से अधिक नहीं हो सकती है।
- **अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।**
- जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी ने 12 मार्च को पाँच को मंत्री नियुक्त किया, जब उन्होंने 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली व आठ और लोगों को नियुक्त किया।
    - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत मंत्रिपरिषद में आठ और लोगों को शामिल करना अवैध, शून्य एवं असंवैधानिक है।

जनहित याचिका (PIL)

- यह **मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने** या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिये कानून का उपयोग है।
- "जनहित याचिका" की अवधारणा **अमेरिकी न्यायशास्त्र** से ली गई है।
- भारतीय कानून में PIL का अर्थ **जनहित की सुरक्षा के लिये मुकदमा करना** है। यह किसी न्यायालय में पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मुकदमा है।
    - यह **न्यायिक सक्रियता** के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
- इसे केवल **सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय** में ही दाखिल किया जा सकता है।
- यह **रिट याचिका से भिन्न** है, जो व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिये दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिये दायर की जाती है।
- PIL की अवधारणा कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और वितरण हेतु भारत के **संविधान के अनुच्छेद 39 A** में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है।
- वे क्षे**त्र जहाँ जनहित याचिका दायर की जा सकती है**: प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माणात्मक खतरे आदि।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hc-notice-on-plea-challenging-haryana-cabinet-expansion